

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डल आयुक्त
उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।
3. निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
5. समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम उ०प्र०।
6. समस्त महाप्रबन्धक,
जलकल विभाग
नगर निगम उ०प्र०।
7. महाप्रबन्धक,
चित्रकूटधाम मण्डल,
जल संस्थान बॉदा/झॉसी।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2016

विषय: जलकर एवं विद्युतकर के भुगतान में पुराने रू० 500 एवं 1000 के नोट स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री शक्तिकान्त दास, सचिव, आर्थिक मामले भारत सरकार द्वारा Tweet (ट्वीट) किया गया है कि such old notes be accepted for payment of utility charge like water&electricity till 11 Nov midnight. Records to be maintained. ट्वीट की हार्ड कापी की छायाप्रति संलग्न है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जलकर के भुगतान में पुराने रू० 500 एवं 1000 के नोट दिनांक 11.11.2016 की मध्य रात्रि तक स्वीकार करना सुनिश्चित कराते हुए विद्युत.देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में भी तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।